भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 520 का उत्तर

स्टेशनों में अत्यधिक भीड़

520. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अधिक भीड़ के समय लोकल ट्रेनों और मेट्रो में विशेषकर मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में भीड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या का प्रबंधन करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में अलग-अलग कार्यालय समय को लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर अधिक भीड़ को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) तमिलनाडु के करूर में रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं में सुधार के क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) रेलवे स्टेशनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

Sk

स्टेशनों में अत्यधिक भीड़ के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में सुश्री एस. जोतिमणि के अतारांकित प्रश्न सं. 520 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेलवे का, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और नई गाड़ी सेवाएं शुरू करके मौजूदा गाड़ी सेवाओं के भार का संवर्धन करके उपनगरीय खंडों की वहन क्षमता बढ़ाने का प्रयास रहता है। तदनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान, चेन्नै और कोलकाता के उपनगरीय खंडों पर 12 कार की 26 नई सेवाएं, 9 कार से बढ़ाकर 13 नई सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, यात्रियों को सेवित करने के लिए 183 सेवाओं को 9 कार से बढ़ाकर 12 कार करके संवर्धित किया गया है। इस समय, मुंबई क्षेत्र, चेन्नै क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र क्रमश: 3037, 675 और 124 गाड़ी सेवाओं से सेवित किए जा रहे हैं। सरकारी और निजी कार्यालयों दोनों के भिन्न-भिन्न कार्यालय समय को देखते हुए उपनगरीय सेवाओं को पूरे दिन परिचालित किया जाता है।

(ग): रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ को रोकने के संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. **यात्रियों को सुगम प्रवेश और निकासी की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकासी पाइंट। बड़े और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे वाणिज्य विभाग और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ)/राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के कर्मचारियों द्वारा चौबीसों घंटे प्रवेश और निकासी पाइंटों की चौकसी की जा रही है।**

ii. **प्रारंभिक बड़े स्टेशनों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के सामान्य सवारीडिब्बों में यात्रियों की निर्बाध बोर्डिंग के लिए कतार प्रणाली को बनाए रखना।**

iii. **बेतरतीब पार्किंग और भीड़ से बचने के लिए पार्किंग और गैर पार्किंग क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन करना।**

iv. **स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणाली और बुकिंग कार्यालयों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम), मोबाइल फोन के**

माध्यम से टिकट, ऑन लाइन टिकट आदि के माध्यम से टिकट बुकिंग माध्यमों का विविधीकरण करना।

v. प्लेटफार्म टिकट की दर में 5 रु. से 10 रु. तक वृद्धि करना। रैली, मेला आदि जैसे विशेष अवसरों के दौरान प्लेटफार्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक को प्लेटफार्म टिकटों की दर को 10 रु. से अधिक करने की शक्तियां प्रदान करना।

vi. क्लोज सर्किट टेलीविजन सर्विलेंस प्रणाली और एक्सेस नियंत्रण तंत्र के माध्यम से बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ का नियंत्रण और निगरानी।

(घ): करूर एक एनएसजी-4 कोटि का स्टेशन है। इस स्टेशन में मापदंडों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई है। यात्री सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित कार्यों को करूर स्टेशन पर पूरा किया गया है:

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	सभी प्लेटफार्मों में पे एंड यूज़ टॉयलेटों सहित प्रतिक्षालय में सभी टॉयलेटों का उन्नयन
2	सभी प्लेटफार्मों में दिव्यांग टॉयलेटों का प्रावधान
3	परिपथन क्षेत्र और वाहन पार्किंग को बेहतर बनाना
4	03 वाटर कूलरों का प्रावधान
5	करूर स्टेशन पर मौजूदा ऊपरी पैदल पुल के लिए छत को कवर करने का प्रावधान

इसके अतिरिक्त, करूर स्टेशन में निम्नलिखित यात्री सुविधाओं के कार्य प्रगति पर हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम
1	सभी प्लेटफार्मों में प्लेटफार्म सिंक टैप को बदलने का प्रावधान
2	वाल्व/बॉल वाल्व को बदलना
3	पीने के पानी के जीएलआर छत एवं जीएलआर क्षेत्र पर बेहतर बनाना
4	निगम टैंक से रेलवे जीएलआर तक अलग से पाइप लाइन

5	प्लेटफार्म सं.1 में स्टेशन क्षेत्र में प्लेटफार्म शेल्टर छत को बेहतर बनाना
6	स्टेशन पर पुरूष और महिला प्रतीक्षालयों को बेहतर बनाना
7	प्रतिक्षालय से मेनहोल तक निकासी को बेहतर बनाना
8	प्लेटफार्म खुली निकासी को बेहतर बनाना
9	प्लेटफार्म सं. 1 में प्लेटफार्म टॉयलेट को बेहतर बनाना
10	करूर स्टेशन पर स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज पर हाई मस्ट का प्रावधान

(ङ): भारतीय रेल ने भारत सरकार के 'सुगम्य भारत अभियान' के एक भाग के रूप में दिव्यांगजनों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में सुगम्य पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग यात्रियों सहित रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार/संवर्धन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय रेल पर सभी स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के प्रावधान किए जाने हैं। अप्रैल, 2018 में, यात्रियों की सम्हलाई और स्टेशनों की आमदनी के आधार पर 'ए-1', 'ए', 'बी', 'सी', 'डी', 'ई' एवं 'एफ' कोटि के स्टेशनों को एनएसजी1, एनएसजी2, एनएसजी3, एनएसजी4, एनएसजी5 एवं एनएसजी6, एसजी1, एसजी2 एवं एसजी3 और एचजी1, एचजी2 एवं एचजी3 स्टेशन की कोटियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सभी स्टेशनों पर निम्नलिखित अल्पकालिक सुविधाओं और दीर्घकालिक सुविधाओं की एक योजना बनाई गई है जो आरंभ में गैर-उपनगरीय समूह एनएसजी-1, एनएसजी-2, एनएसजी-3 एवं एनएसजी-4 कोटि के स्टेशनों से शुरू होगी। भारतीय रेल में स्टेशनों की सभी कोटियों के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए अब तक रेलवे स्टेशनों पर मुहैया कराई गई अल्पकालिक सुविधाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिए सुविधा	स्टेशनों की अनुमानित संख्या, जह सुविधा मुहैया करा दी गई है
1	निर्बाध रूप से प्रवेश हेतु स्टैंडर्ड रैम्प	4064
2	कम-से-कम दो पार्किंग स्थान निर्धारित करना	2024
3	पार्किंग लॉट से स्टेशन बिल्डिंग तक फिसलन रहित मार्ग	2110
4	समुचित दृश्यता के संकेतक	1820

5	नि:शक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के उपयोग हेतु पीने के पानी का कम-से-कम एक नल	3107
6	कम-से-कम एक शौचालय (भूतल पर)	4201
7	'क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं' बूथ	1325

एनएसजी-1 से एनएसजी-4 श्रेणी के स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए मुहैया कराए जाने वाली दीर्घकालिक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	सुविधा	स्टेशनों की संख्या
1	प्लेटफार्मों के किनारों पर एन्ग्रेविंग।	1940
2	अंतर-प्लेटफार्म आवागमन हेतु सुविधा की व्यवस्था करना।	1290

******

Sk